न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 16/2015 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00191

उनवान

नानिक चन्द पुत्र हरिबक्स जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र आदिराम
2. रामबेटी वेवा शंकर सिंह
3. महेन्द्र
4. मदन
5. अशोक
6. सुनीता

पिसरान शंकर सिंह जाति लोधा नि0 ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

7. रामा पुत्री आदिराम पत्नी मान सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम गुढेरा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
8. रामबेटी पुत्री आदिराम पत्नी रग्घो जाति लोधा निवासी ग्राम तेजा का नगला तहसील खेरागढ जिला आगरा।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 19.06.2015 उनवानी नानकचन्द बनाम नारायण मु0न0 11/2013

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेश कटारा उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के आदेश दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खेरली तहसील धौलपुर के खातेदार कृषक हरिबक्स व आदिराम थे जो खास भाई थे। हरिबक्स का देहांत करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया। प्रार्थी/अपीलाण्ट उसका मात्र एक वारिस है। आदिराम का निधन करीब 8 वर्ष पूर्व हुआ उसके वारिस अप्रार्थी रैस्पो0 है। इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलाण्ट 1/2 भाग के तथा अप्रार्थी रैस्पो0 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। आदिराम ग्राम पंचायत खेरली का सरपंच था। जिसका उन्होनें नाजायज लाभ उठा कर विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1318/4 में से 9 विस्वा रकवा वर्तमान खसरा नम्बर 1575 में तथा 1187/5 मे से 1 विस्वा 4 विस्वा रकवा खसरा नम्बर 1576 में शामिल कर बंदोवस्त में उन्हें सरकारी भूमि दर्ज करा दिया तथा उसके तुरन्त बाद दिनांक 22.06.1976 को उसका आवंटन अपने पक्ष में करा लिया, जो अवैधानिक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनरथ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में करके कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख पर गौर किया। बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी हरिवक्स व आदिराम की खातेदारी में थी तथा बंदोबस्त ने इसे सिवायचक कर दिया। जबकि वन्दोवस्त को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के वाद को आधार वनाने में कानूनी त्रुटि की है। पूर्ववर्ती वाद व वर्तमान वाद का वादकरण भिन्न है। अतः रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होगा। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 व नियम 2 जा0दी0, आरबीजे 2022 पेज 02, 2022 पेज 763, 2016 पेज 468, 2019 पेज 198, डीएनजे 2023(1) पेज 532, 595, 2020 पेज 49, आरआरटी 2021(2) पेज 1272, 2021(1) पेज 321, 2020(2) पेज 1081, 2018–19 पेज 531, 402, 2016(2) पेज 1387, आरआरडी 1987 पेज 194 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा 2007 में पेश हुआ एवं दिनांक 30.03.2009 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं अदम साक्ष्य में खारिज हुआ। अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होगा। अपीलाण्ट ने उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं की है। बाद वहस निर्णय हुआ है। पूर्व में दावा खारिज हो चुका है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 62, आरआरडी 2020 पेज 246, आरबीजे 2018 पेज 498 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा यह कहते हुये खारिज किया गया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि बन्दोबस्त विभाग ने विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया हो एवं प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2018–21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर आदीराम, हरिबक्स पिसरान जवाहर वहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बनता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई विवेचना नहीं की जाकर, सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि जमाबन्दी संवत 2018–21 में प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता का नाम विवादित आराजी पर दर्ज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जमाबन्दी की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की गयी है। जहॉ तक रैस्पो0 अभिभाषक की यह आपत्ति की पूर्व में दावा चला वह खारिज हो गया है। अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होगा, का प्रश्न है। हम पाते हैं कि पूर्व का दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम साक्ष्य में खारिज हुआ था ना कि गुणावगुण पर सुनवाई के पश्चात्। अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होगा। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण को पुनः उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तब तक विवादित आराजी को रहन, वय, मुंतकिल नहीं करने की पाबन्दी आयद की जाती है। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर